डा. रामेश्वर उराँव
अध्यक्ष
(भूतपूर्व सांसद–लोकसभा)
(पूर्व जनजातीय कार्य राज्यमन्त्री)

Dr. RAMESHWAR ORAON
Chairperson
(Ex Member Parliament-LS)
(Former Minister of State for Tribal Affairs)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
छठी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
6th Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Tel. : 011-24635721
Telefax : 011-24624628

अ0 शा0 पत्र सं0 जीएसआर/2/2012/एसटीजीएमपी/डीईईडीयूसी/आर.यू.–III

दिनांक : 25-06-2013

श्रद्धेय राज्यपाल जी,

आयोग के संज्ञान में आया है कि मध्य प्रदेश के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के अन्तर्गत अध्ययन करने वाले समस्त अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों पर अध्यादेश (Ordinance) सं0 04 के पैरा क्रमांक 5.3 में उल्लेखित नियम "The maximum duration of the course shall be seven years. provided that if a candidate is unable to pass/clear the first year of BE course within two and half years from the date of his first admission he shall not be allowed to continue in BE course and the maximum duration of the course will be seven years" जिसको तकनीकी शिक्षा में अयोग्यता नियम (NFTE) कहा जा रहा है, का छात्रों पर अत्यधिक असर पड़ रहा है। मैंने आयोग में संबंधित अधिकारियों को मामले में चर्चा तथा कथित नियम के समाधान के लिए बुलाया था तथा आयोग ने मामले में पाया कि छात्रों को लंबे समय तक पढ़ाने के पश्चात भी विश्वविद्यालय ने ऐसी कोई नीति नहीं बनायी थी जिसमें तकनीकी शिक्षा में प्रवेश के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों, जो कि शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े होते हैं, के छात्रों को प्राथमिकता दी जाए। बल्कि संबंधित संस्थान द्वारा उनको शिक्षा में प्रवेश के आठ वर्षों के बाद कॉलेज से बाहर निकाला जा रहा है। जिस उद्देश्य को आधार लेकर वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे उक्त एन.एफ.टी.ई. नियम से इन 8 सालों के बाद उन आदिवासी छात्रों का भविष्य न तो शिक्षा पूर्ण करने का रह जाएगा और न ही वह अपूर्ण शिक्षा के साथ किसी योग्य रह जायेंगे ।

इसी संबंध में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन ने अपने पत्र सं0 963/2445/2012/बयालीस (1) दिनांक 03-06-2013 द्वारा अवगत कराया कि आयोग की सलाह अनुसार छात्रहित एवं छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण माननीय राज्यपाल, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 88वीं बैठक दिनांक 24-04-2013 में रखा गया एवं समन्वय समिति की अनुशंसा अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर एवं पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में एनएफटीई के नियम में एक बार छूट प्रदान करने की अनुशंसा को मान्य किया गया तथा दो अतिरिक्त अनुकंपा अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया जिसे भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा।

4953
26/6/13

क्रमशः.....2

O/C

ज्ञातव्य हो कि तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन का एनएफटीई नियम के बारे में की गयी कार्रवाई से आदिवासी विद्यार्थियों को एक बार छूट प्रदान कर दो अतिरिक्ति अनुकम्पा अवसर प्रदान करने से फिलहाल अध्ययनरत विद्यार्थियों को ही शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा जबकि आने वाले विद्यार्थियों के सामने वही समस्या बनी रहेगी।

अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की कथित समस्या पर कार्यान्वित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्यादेश (Ordinance) सं0 04 के पैरा क्रमांक 5.3 नियम पर विचार/निर्णय करें ताकि अनुसूचित जनजाति के छात्र आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही यह भी नीति बनायी जाए कि इस वर्ग के कमजोर छात्रों को अलग से कोचिंग की भी व्यवस्था हो ताकि वे अपने में सुधार ला सकें।

सादर ·

आपका,

रामेश्वर उरांव

(डा0 रामेश्वर उरांव)

श्री राम नरेश यादव
महामहिम राज्यपाल
मध्य प्रदेश
राजभवन, भोपाल